

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 142]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 24 फरवरी 2021— फाल्गुन 5, शक 1942

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 24 फरवरी 2021 (फाल्गुन 5, 1942)

क्रमांक—2596/वि.स./विधान/2021. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक—1) विधेयक, 2021 (क्रमांक 1 सन् 2021) पुरःस्थापन के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

हस्ता./—

(चन्द्र शेखर गंगराडे)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 1 सन् 2021)
छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 1) विधेयक, 2021

वित्तीय वर्ष 2020-2021 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम. 1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 1) अधिनियम, 2021 कहलाएगा।
- वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए राज्य की संचित निधि में से 5,05,00,00,700 रूपयों का दिया जाना। 2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2021 के अनुसूची स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए 5,05,00,00,700 (पांच सौ पांच करोड़ सात सौ रुपये) रुपये होता है। उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे।
- विनियोग. 3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी।

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारत	योग
(1)	(2)	(3)		
		रु.	रु.	रु.
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	3,81,00,00,000	0 3,81,00,00,000
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	100	0 100
10	वन	पूंजी	100	0 100
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी	100	0 100
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	11,70,00,100	0 11,70,00,100
		पूंजी	100	0 100
47	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	राजस्व	11,30,00,000	0 11,30,00,000
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व	1,00,00,00,000	0 1,00,00,00,000
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	1,00,00, 000	0 1,00,00, 000
71	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	200	0 200
	योग	राजस्व	5,05,00,00,400	0 5,05,00,00,400
		पूंजी	300	0 300
	वृहद योग		5,05,00,00,700	0 5,05,00,00,700

उद्देश्य और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिये विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

रायपुर,
दिनांक 22 फरवरी, 2021

भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

“संविधान के अनुच्छेद 207 (3) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित”

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.